RKSK
Rashtriya Kishor
Swasthya Karyakram
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

माधव मुस्कान ने किया कमाल,
बाल विवाह में मचाई धमाल

पिछले अंक में हमने नशे की लत के दुष्परिणाम और दृढ़ संकल्प से नशा मुक्ति के बारे में पढ़ा। नशे की लत के ही समान बाल विवाह भी एक सामाजिक बुराई है जिसके दुष्परिणाम नाबालिग को भुगतने पड़ते हैं। इस अंक में हम देखेंगे कि क्या निधि और नीता की शादी हो पाएगी ? कल ही बारात आने वाली है।

अच्छा तो ये वानरसेना, विशाखा मैडम (महिला सशक्तिकरण अधिकारी) और सरपंचजी के साथ फिर से आ गई !
आइए मैडम, हम तो शादी का निमंत्रण भेजने ही वाले थे।
आपकी निधि और नीता की उमर कितनी है
मैडम, निधि आठवीं में और नीता नवीं में हैं।
बस समझ लो, शादी लायक हो गई हैं।
हाँ मैडम, 14–15 साल की होंगी दोनों।
मतलब आप नाबालिग बच्चियों की शादी कर रहे हैं ?
मैडम, मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हैं। आज है, कल नहीं।
उनकी आखिरी इच्छा है लड़कियों की शादी देख लें तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी।
शांति तो तब मिलेगी जब लड़कियाँ पढ़-लिखकर अपने पाँवों पर खड़ी हों।
मैडम, जमाना खराब है। लड़कियाँ जवान हो रही हैं। ब्याह दें तो सुरक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं।

दूल्हे भी नाबालिग हैं। 21 साल की उम्र के पहले इनकी शादी कानूनन अपराध है।
इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है।
ऐसा मत कहिए। मेरे माता–पिता चाहते हैं पड़पोतों का मुँह देख लें तो सोने की सीढ़ी चढ़ जाएंगे।
सोने की सीढ़ी के चक्कर में बच्चियों का भविष्य गड्ढे में उतार रहे हो ?
शादी के रंग में भंग कर दिया। पर यह शादी होकर रहेगी।
पंडितजी, आप तो मंत्र पढ़िए।
आप लोग नहीं माने तो मुझे मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ सकती है।
बाल विवाह का अपराध सिद्ध होने पर आप सभी को सजा हो सकती है।
इन मंत्र पढ़ने वाले पंडितजी को भी।
शादी में शामिल सभी लोगों को भी।
बाप रे बाप।
निधि और नीता मंडप से खड़ी हो जाती हैं
मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण आप सबके लिए कोई परेशानी खड़ी हो।
मैं भी ऐसा नहीं चाहती हूँ। हम अभी शादी नहीं करेंगे।

शाबास निधि, नीता। तुमने यह कहने की हिम्मत दिखाई।
कानून के विपरीत काम होता दिखे तो उसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं।
बाल विवाह सम्बन्धी कानून हमारे भले के लिए ही बनाए गए हैं।
ताकि कम उम्र में शादी के किसी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक व मानसिक दुष्प्रभाव न हो।
तो क्या हमें अब बिन ब्याहे ही बारात वापिस ले जानी पड़ेगी ?
हाय!हाय!! मेरी लड़कियाँ कुँवारी रह जाएंगी
यह न समझें कि शादी टूटी है। इन चारों बच्चों के वयस्क होने तक शादी आगे बढ़ाई है।
और तब कानूनन कोई अड़चन नहीं आएगी।
शादी की हमारी सारी तैयारी बेकार हो गई।
बेकार क्यों ? सब मिलकर सहभोज का आनंद लो।
शुक्रिया अदा करो इस वानर सेना का . . . .।
कि आप जेल जाने से बच गए।।
माधव, चलो तुम्हारे घर मेहमान आए हैं ?
चलो, चलो, देखते हैं कौन आया है ?
अगले अंक में माधव–मुस्कान की मौसेरी बहन उनके घर आ रही हैं। देखते हैं उनके पास कहने के लिए क्या है ? हम भी सुनेंगे उनकी बात।

पढ़ी गई कहानी के अनुसार, हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे:

सामाजिक मान्यताएं

बाल विवाह से आप क्या समझते हैं ?

रूढ़िवादिता

लोग किन कारणों से बाल विवाह करते हैं। कारणों पर चर्चा करें।

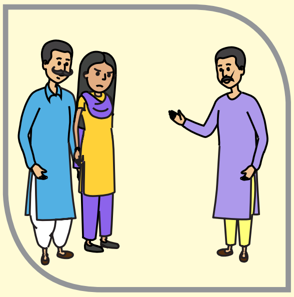

बालिका शिक्षा

लड़कियों को सक्षम कैसे बनाया जा सकता है ?
बालिका शिक्षा और लड़कियों की सुरक्षा पर चर्चा करें।

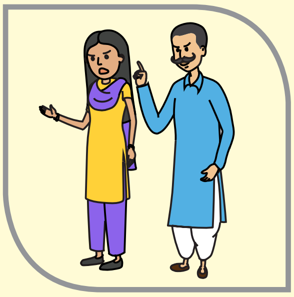

सहायक तंत्र

बाल विवाह रोकने के लिए किन-किन की मदद ली जा सकती है ?

सजा का प्रावधान

बाल विवाह करने पर किन-किन को सजा हो सकती है ?

नारी सशक्तिकरण

माधव-मुस्कान के समझाने पर निधि, नीता ने सबके सामने क्या कहा ?
क्या उनका निर्णय सही था ?

याद रखने वाले मुख्य संदेश

बाल विवाह

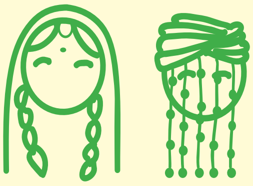

बाल विवाह केवल भारत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में होते आए हैं और समूचे विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अधिक बाल विवाह होते हैं। आँकड़ों के अनुसार, बिहार में सबसे अधिक 68 प्रतिशत बाल विवाह की घटनाएँ होती है जबकि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम 9 प्रतिशत बाल विवाह होते हैं।

- बाल विवाह वह है जिसमें लड़के या लड़की की कम उम्र में शादी की जाती है। यह प्रथा पुराने जमाने से हमारे देश में चली आ रही है। जो अभी 18 साल का नहीं हुआ है वह नाबालिग की श्रेणी में आता है।
- जब किसी लड़की की शादी कम उम्र में होती है। तब ऐसे में उसके कम उम्र में गर्भवती होने पर प्रसव के दौरान उसकी और उसके बच्चे की मृत्यु की सम्भावना बढ़ जाती है या दोनों का शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं रहता।
- कम उम्र में विवाह से स्कूल की पढ़ाई छूटने की संभावना होती है।

बाल विवाह के कारण

- गरीबी,
- लड़कियों की शिक्षा का निचला स्तर,
- लड़कियों की मर्जी का कोई महत्व नहीं होना,
- लड़कियों की सुरक्षा,
- लड़कियों की उम्र बढ़ जाने और उनके ज्यादा पढ़ लेने से ससुराल में तालमेल बिठाना कठिन हो जाता है ऐसा सोच,
- कम उम्र में शादी करने में दहेज कम देना होता है,
- लड़कियों को कम रुतबा दिया जाना एवं उन्हें आर्थिक बोझ समझना,
- सामाजिक प्रथाएँ एवं परम्पराएँ।

साथिया

भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

- आशा की सहायता से गांव में 10 से 19 वर्ष की आयु के सभी किशोर/किशोरियों की सूची तैयार करना।
- स्वास्थ्य एवं संरक्षण के मुद्दों के संबंध में मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने में किशोर/किशोरियों की सहायता करना।
- आशा/ए.एन.एम. की सहायता से आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सीय व सुरक्षा संबंधी जरुरत में दूसरी जगह रेफर करवाना।
- किशोर/किशोरियों की बातों की हमेशा गोपनीयता बनाए रखना।
- बच्चों और किशोर/किशोरी पर हिंसा के मामलों को पुलिस या बाल संरक्षण अधिकारी को सूचित करना।
- हिंसा के शिकार व्यक्ति की चिकित्सा देखभाल एवं परामर्श लेने और कानूनी सहायता हासिल करने में सहायता करना।
- धर्म, जाति, वर्ग, जेंडर या वैवाहिक स्थिति पर विचार किए बिना सभी किशोर/किशोरियों तक पहुंचना।

पहला अंक

दूसरा अंक

तीसरा अंक

चौथा अंक

पांचवां अंक

छठा अंक

सातवां अंक

आठवां अंक

नौवां अंक

दसवां अंक

ग्यारहवां अंक

बारहवां अंक

तेरहवां अंक

चौदहवां अंक

पंद्रहवां अंक

सोलहवां अंक

सत्रहवां अंक

अठारहवां अंक

UNFPA

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रूपांकित